

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर  
क्रमांक :- ई-18/एम/वॉल्यूम- IV/2018/ दिनांक

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

| क्र. स. | नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान                       | प्र0नि0 तिथि | पूर्ण सेवावधि | एसीपी स्वीकृति तिथि | पे मेट्रिक्स लेवल |
|---------|--|--------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 1.      | श्री बाबूलाल कपूर, वरिष्ठ सहायक, बीकानेर।            | 06.11.1990   | 27 वर्ष       | 06.11.2017          | एल-11             |
| 2.      | श्री हरीश कुमार स्वर्णकार, वरिष्ठ सहायक, जयपुर-प्रथम | 21.11.1990   | 27 वर्ष       | 21.11.2017          | एल-11             |

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

Sr  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर

दिनांक : 3/8/18

क्रमांक :- ई-18/एम/वॉल्यूम- IV/2018/ 2279

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम/बीकानेर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आमेर, जयपुर-प्रथम/कोलायत, बीकानेर।
3. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर